

31.3.23

~~पानामी के 27~~ ~~दस्तावेजों से पानामी Report प्राप्त है~~
~~गई है तथा कुछ और कार्रवाई आवश्यक है।~~
~~पानामी के पत्र शुक्र (1) और (2) नमूने में~~
~~दालिमा दस्तावेज (1)~~



फर्द डिक्री मुकदमात इबादाई

आर रुल्स 6-7 जाप्ता दीवाणी

निर्णय बइजलास सुश्री अंजना सहरावत (आर.ए.एस.) उपखण्ड अधिकारी सांगोद
जिला कोटा

तारीख दायरा 02.03.2022

करण संख्या : 18/2022

उनवान

1. शांति बाई पत्नि स्व० हीरालाल जाति माली निवासी बोरदा।
2. मंजू बाई पुत्री हीरालाल पत्नि गोरधान जाति माली निवासी कोटा।
3. ललिता सुमन पुत्री हीरालाल पत्नि हेमराज जाति माली निवासी कोटडी कोटा।

— वादीगण

बनाम

1. कन्हैयालाल पुत्र चतुर्भुज जाति माली निवासी बोरदा।
2. चेतन कुमार पुत्र हीरालाल जाति माली निवासी बोरदा।
3. चन्दा बाई पुत्री हीरालाल जाति माली निवासी बोरदा।
4. जगदीश पुत्र हीरालाल जाति माली निवासी बोरदा।
5. नन्दराम पुत्र चतुर्भुज जाति माली निवासी बोरदा।
6. पन्नालाल पुत्र भंवरलाल जाति माली निवासी बोरदा।
7. बन्टी पुत्र हीरालाल जाति माली निवासी बोरदा।
8. बसन्ती बाई पुत्री भंवरलाल जाति माली निवासी बोरदा।
9. शंकर पुत्र हीरालाल जाति माली निवासी बोरदा।
10. राज्य सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार साहब सांगोद।

— प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 89 आर. टी. एक्ट

5

इमानित प्रतिलिपि

सरकार अधिकारी, सांगोद

उपखण्ड अधिकारी
सांगोद (कोटा)

श्री सत्येन्द्र कुमार गुप्ता(वकील वादीगण)

दिनांक :- 12.03.2022

श्री नाथूलाल नागर(वकील प्रतिवादीगण)

आज यह मुकदमा वास्ते इन फिसाल कतई रूबरू मुझ सुश्री अंजना सहरावत (आर ए एस) व
हाजरी श्री सत्येन्द्र कुमार गुप्ता मिन जानिब मुदई रूबरू श्री मिन जानिब मुददायल पेश
होकर आदेश दिया जाता है कि -

माल ग्राम बोरदा तहसील सांगोद जिला कोटा की आराजी खाता सं. 53 की
ख.न. 160, 161, 272, 273, 279, 320, 80, 82 कुल किता 8 की कुल 6.64 हैक्टर
आराजी में वादी सं.1 का नाम कान्ति के स्थान पर शान्तिबाई तथा वादी सं. 2 का नाम
भूली बाई के स्थान पर मन्जू बाई तथा वादी सं. 3 का नाम ललता बाई के स्थान पर
ललिता सुमन दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। उक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में
अमल दरामद किया जावें। विवादित आराजी पर रहन भार होने की स्थिति में बैंक चार्ज
पृथम होने के कारण रहन भार यथावत रहेगा।

निर्णय आज दिनांक 12.03.2022 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

प्रमाणित प्रतिलिपि

उपखण्ड अधिकारी, सांगोद

(अंजना सहरावत)
उपखण्ड अधिकारी सांगोद